



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओटीएस केम्पस के पास, झालाना लिंक रोड,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (फोन एवं फैक्स नं. 0141-2719136)

क्रमांक पं. 6 ()/रा.सू.आ./स्टोर/मशीन विथ मैन/2023-24/ 984-989 दिनांक 27-02-2024

**M/s KIYANA MICROHELP FOUNDATION,
304, Krishna Kunj, Patrakar Colony,
Mansarovar, Jaipur.**

विषय:- कार्य आधार पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:- ई- बोली आमंत्रण सूचना 1/2024-25

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक ई-बोली आमंत्रण सूचना 1/2024-25 के क्रम में आप द्वारा निविदा (बीओक्यू) के साथ प्रस्तुत दरें 10850.77 प्रतिमाह प्रति ईकाई (सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर प्रति माह रु.9334/-, EPF (दर 13% प्रतिशत) रु.1213.42, ESI (दर 3.25 प्रतिशत) रु.303.35, सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह) रु.0.00, कुल राशि प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रु. 10850.77 (पी.एफ.ई.एस.आई.जी.एस.टी. एवं समस्त दर सहित) न्यूनतम होने पर सक्षम स्वीकृती उपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ई-बोली आमंत्रण सूचना 1/2024-25 में वर्णित शर्तों के अध्ययधीन स्वीकृत की जाती है।

अतः आप 18 कार्य आधार पर कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिकों की सेवाएं दिनांक 01.03.2024 से 28.02.2025 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें।

वित्त (जीएनटी) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) /वित्त/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018 के सभी प्रावधान लागू होंगे।

कार्य प्रारम्भ तिथि दिनांक 01.03.2024 होगी। यह सुनिश्चित करें कि आप द्वारा कार्य आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाले कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक (कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस एवं प्रशिक्षित कार्मिक) ई-बोली की निर्धारित शर्त/स्पेसिफिकेशन/योग्यता के अनुसार हो।

शास्ति (Penalty) :- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के कार्मिकों को प्रत्येक माह की दिनांक 5 से 10 तक मानदेय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाना आवश्यक है यदि निविदादाता प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिकों को भुगतान करने में विफल रहता है तो प्रतिदिन राशि रु. 200/- प्रति कार्मिक शास्ति के रूप में वसूलनिय होगी। शास्ति की वसूली निविदादाता को देय भुगतान / कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से की जायेगी। साथ ही संबंधित कार्मिकों के EPF व ESI की कटौती राशि संबंधित कार्मिक के खातों में उसी माह ही जमा करवाया जाना भी आवश्यक है अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

इसके साथ ही राशि 1000/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित अनुबन्ध तथा प्रतिभूति राशि नियमानुसार 27,600/-का डिमान्ड ड्राफ्ट सचिव राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर के नाम से देय हो, आयोग कार्यालय में 01.03.2024 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा।

सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ:-

- 1-आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर।
- 2-लेखा शाखा, राज. सूचना आयोग, जयपुर।
- 3-केयर टेकर, राज. सूचना आयोग, जयपुर।
- 4-गार्ड फाईल।
- 5-प्रोग्रामर महोदया को ई-पोर्टल पर अपलोड की कार्यवाही करने बाबत।

उप सचिव
राजस्थान राज्य सूचना आयोग,
जयपुर